THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) This information is not available in the Department of Personnel since powers to make compassionate appointment in Group C&D Grades have been delegated to the various Ministries /Departments of the Government of India. Only a few cases where relaxation of educational qualification or age is required, are referred to this Department.

(b) and (c). Since the applications are submitted to various Ministries/ Departments by the applicants, this information will be available with the respective Ministries/Departments. On applications in which immediate relief to the family of the deaceased government employee is clearly indicated and the necessary documents are available, decision is taken immediately. In other cases, necessary information has to be collected before a final decision is taken. All applications for compassionate appointments receive prompt attention.

आपात काल के दौरान विदेशी प्रेस को देश छोड़ने को बाध्य किया जाना

7513. **श्री लालजी भाई :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विदेशी प्रेस, रेडियो अथवा टेलीविजन संगठनों की संख्या कितनी है जिनके सदस्यों की आपातकाल के दौरान देश छोड़ने को बाध्य किया गया था ; और

(ख) ऐसे संगठन अथवा नए विदेशी संस्थानों की संख्या कितनी है जिन के सदस्यों को गत एक वर्ष के दौरान भारत में कार्य करने की अनुमति दी गयी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) सात, बी. बी. सी. का संवाददाता भी भारत से चला गया था, क्योंकि आपात स्थिति लागू होने के बाद भारत सरकार द्वारा स्वत:-सेंसरशिप सम्बन्धी जो मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे उन पर उसके प्रति नियोक्ता द्वारा उसको हस्ताक्षर न करने के के लिए कहा गया था ।

(ख) 25 नए संगठनों सहित 29 ।

भारत द्वारा फिल्मों का आयात

7514. **श्री लालजी भाई :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशो के नाम क्या हैं जिन से भारत सरकार फिल्मो का आयात करती है; और

(ख) गत एक वर्ष के दौरान देश-वार कितनी फिल्मो का आयात किया गया और इस सम्बन्ध मे ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) (क) फिल्मों के आयात के मामले में सरकार की नीति गुणवत्ता पर बल देते हुए विश्व आधार पर बिना किसी भेदभाव के आयात करने की है। (आयात फिल्म वित्त निगम के माध्यम से किया जाता है) । अत : फिल्मो के आयात के लिए नियत देशो की कोई विशिष्ट सूची निर्धारित नही की गई है ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको यथासमय सदन की मेज पर रख दिया आएगा ।